भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2841

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

2841. श्री राजू बिष्टः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से उक्त जिलों में उपरोक्त योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत वर्ष-वार और योजना-वार लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त जिलों में वृद्धाश्रम, छात्रावास या कौशल विकास केंद्र जैसी नई परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों सहित देश भर में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। 2019 के बाद से योजनाओं, लाभान्वित व्यक्तियों और व्यय का विवरण **अनुलग्नक** में है।

(घ): मंत्रालय की प्रासंगिक योजनाओं के अंतर्गत वृद्धाश्रमों, छात्रावासों और कौशल विकास केन्द्रों जैसी परियोजनाओं पर राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर योजना के दिशा-निर्देशों, निधियों की उपलब्धता और पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर विचार किया जाता है।

अनुलग्नक

श्री राजू बिष्ट द्वारा मांगी गई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2841, जिसका उत्तर 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

1. पीएम-अजय:

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय), एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे 2021-22 में तीन मौजूदा योजनाओं, अर्थात् आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से एससीएसपी), और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिलाकर शुरू किया गया था। इस योजना के तीन घटक हैं, अर्थात् (i) आदर्श ग्राम, (ii) 'अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान' और (iii) 'छात्रावास'। इस योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सहायता इस विभाग द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है न कि जिला स्तर पर। हालांकि, 2019-20 से पश्चिम बंगाल राज्य में सहायता अनुदान घटक के तहत जारी की गई निधि और लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:-

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सहायता अनुदान	कवर किए गए लाभार्थी
1	2019-20	164.85	61856
2	2020-21	166.60	37536
3	2021-22	195.00	43498
4	2022-23	00.00	43929
5	2023-24	33.21	11254
6	2024-25	58.29	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया
7	2025-26	47.95	198073

2. **अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक और भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी):**

केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात (i) अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति; (ii) भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां (पीएमएस-एससी), जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्रमशः 2021-22 और 2022-23 से डीबीटी मोड पर लागू की गई है। उपर्युक्त योजनाओं के तहत,

छात्रवृत्ति के केंद्रीय हिस्से को जारी करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन पर निर्भर करता है कि वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भुगतान किए गए डेटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर साझा करें। उपर्युक्त योजनाएं बजट परिव्यय के अधीन पूरे भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के सभी पात्र छात्रों के लिए खुली और मांग आधारित हैं।

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, पश्चिम बंगाल में वास्तविक (लाभार्थियों की संख्या) और वित्तीय (जारी केंद्रीय हिस्सेदारी) उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:

	दार्जिलिंग		कालिम्पोंग	
शैक्षणिक वर्ष	लाभार्थी	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा रु. में	लाभार्थी	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा रु. में
2022-23	1530	32,23,500	22	46,200
2023-24	1205	25,62,000	25	52,600
2024-25	828	17,70,300	22	46,200

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक वास्तविक (लाभार्थियों की संख्या) और वित्तीय (जारी केंद्रीय हिस्सेदारी) उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:

शैक्षणिक वर्ष	दार्जिलिंग		कालिम्पोंग	
	लाभार्थी	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा रु. में	लाभार्थी	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा रु. में
2021-22	8099	2,01,31,728	152	4,34,676
2022-23	8811	2,42,68,080	146	4,12,164
2023-24	5923	1,68,30,648	97	2,42,772
2024-25	3199	88,02,204	76	1,92,672

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) अपने चैनल भागीदारों (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विभिन्न अनुसूचित बैंकों आदि द्वारा नामित एजेंसियां) के माध्यम से 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पिछड़े वर्गों (शहरी और ग्रामीण) के सदस्यों को रियायती ब्याज दर पर आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2019 से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की वर्ष और योजना-वार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	दार्जिलिंग		कालिम्पोंग	
	व्यक्तिगत ऋण (लाभार्थियों की संख्या)	सामूहिक ऋण (लाभार्थियों की संख्या)	व्यक्तिगत ऋण (लाभार्थियों की संख्या)	सामूहिक ऋण (लाभार्थियों की संख्या)
2019-20	1	35	15	18
2020-21	0	90	0	37
2021-22	0	63	23	54
2022-23	4	20	4	81
2023-24	9	150	4	60
2024-25	2	32	5	20
2025-26 05.03.2026 तक)	3	20	0	10

उक्त अवधि के दौरान दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित/जारी और उपयोग की गई निधियों की कुल राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	दार्जिलिंग		कालिम्पोंग	
	आवंटित/जारी निधि (रुपये लाख में)	उपयोग की गई निधि (रुपये लाख में)	आवंटित/जारी निधि (रुपये लाख में)	उपयोग की गई निधि (रुपये लाख में)
2019-20	8.50	8.50	6.32	6.32
2020-21	9.00	9.00	3.7	3.70
2021-22	6.30	6.30	7.4	7.40
2022-23	8.80	8.80	58.87	58.87
2023-24	38.63	38.63	31.10	31.10
2024-25	11.33	11.33	16.26	16.26
2025-26 (05.03.2026 तक)	9.23	9.23	2.00	2.00

4. मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)' की योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसके माध्यम से पश्चिम बंगाल सहित देश भर में पात्र दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, एडीआईपी योजना के अंतर्गत कोई राज्य-वार/जिला-वार आबंटन नहीं किया जाता है। हालांकि, 2019 से

एडीआईपी योजना के तहत दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में उपयोग की गई निधि और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या वर्ष-वार इस प्रकार है:

वर्ष	दार्जिलिंग		कालिम्पोंग	
	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधि (रुपये लाख में)	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधि (रुपये लाख में)
2019-20	154	10.33	-	-
2020-21	234	16.09	-	-
2021-22	-	-	-	-
2022-23	403	30.05	41	3.45
2023-24	8	0.48	-	-
2024-25	261	28.45	32	1.98
2025-26 (दिनांक 06.03.2026 तक)	120	11.45	20	2.52

*****